अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेजिंग मशीन के उत्पादकों/रिटेलर्स/वितरकों एवं टेकनीशियनों हेतु मार्गदर्शिका

राज्य में गिरते हुआ शिशु लिंग अनुपात एवं लिंग चयन को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न हितधारकों की भूमिका को सुनिश्चित करना आवश्येक है | इस समस्या के निराकरण के लिए बने पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी अधिनियम के सुचारू कियान्वयन अधिनियम की धाराओं एवं नियमों का परिपालन अनिवार्य है | अतः अल्ट्रासाउंड मशीन/CT स्कैन /MRI मशीन के उत्पादकों/वितरकों की भूमिका महत्वपूर्ण है | उनके द्वारा प्रदाय की गयी जान्कारी राज्य/जिलों द्वारा की जा रही सघन मॉनिटरिंग हेतु आवश्यक है |

अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड मशीन,इमेजिंग मशीन, स्कैनर या कोई अन्य उपकरण, जिसके प्रयोग से गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण किया जा सकता है को किसी भी अनुवांशिक परामर्श केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड केंद्र या कोई अन्य व्यक्ति को पंजीयन उपरांत ही विक्रय किया जाना उपबंधित है | इसके अतरिक्त उत्पादकों/वितरकों द्वारा विक्रय की गयी अल्ट्रासाउंड मशीन/CT स्कैन /MRI मशीन की त्रैमासिक जानकारी राज्य समुचित प्राधिकारी को भेजा जाना अनिवार्य है | उत्पादकों/वितरकों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है |

परिपत्र:

1. राज्य में अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेजिंग मशीन के उत्पादकों/रिटेलर्स/वितरकों एवं टेकनीशियनों को अनिवार्य रूप से जिला समुचित प्राधिकारी एवं राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी, मध्य प्रदेश से प्रस्तावित प्रारूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा | किसी भी व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेजिंग मशीन का क्रय. सुधार, डेमो या अन्य किसी भी सेवा हेतु पंजीकृत उत्पादकों/रिटेलर्स/वितरकों एवं टेकनीशियनों की ही सेवा लेना अनिवार्य होगा |
2. उत्पादकों/रिटेलर्स/वितरकों एवं टेकनीशियनों द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट के द्वारा राज्य में क्रय या सुधारी गयी मशीन की जानकारी मेक,मॉडल एवं सीरियल क्रमांक के साथ नियम 3A(2) के अंतर्गत दिया जाना अनिवार्य होगा |
3. उत्पादकों/रिटेलर्स/वितरकों एवं टेकनीशियनों द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट में विक्रय/बॉय बेक/सुधार या खंडित की गयी अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेजिंग मशीन की पूर्ण जानकारी - सीरियल क्रमांक, मेक, मॉडल एवं पंजीकृत केंद्र - त्रैमास के पूर्ण होने के 15 दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा | NIL रिपोर्ट भी दिया जाना अनिवार्य होगा |
4. राज्य एवं जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/रिटेलर्स/वितरकों एवं टेकनीशियनों द्वारा संधारित रिकाईस का निरीक्षण किया जा सकेगा |
5. जिले में अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेजिंग मशीन के क्रय एवं विक्रय की जानकारी उत्पादकों/रिटेलर्स/वितरकों उत्पादकों/रिटेलर्स/वितरकों एवं पंजीकृत केन्द्रों द्वारा जिला समुचित प्राधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा |
6. उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लंघन अधिनियम की धारा 3(B) का उल्लंघन होगा एवं समुचित प्राधिकारी द्वारा न्यायिक कार्यवाही की जाएगी |